lfpdkLr lfpdkvk dh lph&2014

tuojh&2014

f'k{kk foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	01/लोक(मा0शिक्षा)06/09	जिला शिक्षा अधीक्षक, जमशेदपुर, श्री पूर्णानन्द सिंह एवं उनके सहायक श्री अयोध्याराम के विरूद्ध श्री बन्ना गुप्ता केन्द्रीय, महासचिव, झा.वि.मो0 का आरोप।	20.01.2014	प्राथमिक शिक्षा निदेश के विस्तृत जांच प्रतिवेदन तथा आरेपित लोक सेवकों के स्पष्टीकरण एवं सुवाई के अनुसार परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में लोक सेवकों को आरोप मुक्त करते हुए परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(शिक्षा)36/12	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय खरौंधा पर स्वेच्छाचारिता का आरोप के संबंध में उमाकान्त तिवारी, गढ़वा का परिवाद ।	15.01.2014	परिवादी का स्थानानतरण अन्यत्र विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कर दिया गया तथा उनके द्वारा समर्पित कारण पृछा के उत्तर के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(शिक्षा)36/12	स्व0 सीताराम शिक्षक प्राथमिक विद्यालय डुमरी, भवनाथपुर, गढ़वा का सेवान्त लाभ बकाया के संबंध में श्री कामेश्वर बैठा, सांसद पलामू का परिवाद ।	30.01.2014	जिला शिक्षा अधीक्षक गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार स्व0 सीताराम शिक्षक प्राथमिक विद्यालय डुमरी, भवनाथपुर, गढ़वा का सेवान्त लाभ बकाया का भुगतान कर दिया गया । उक्त के अलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
4.	02/लोक(शिक्षा)06/13	उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरियां, देवघर में पारा शिक्षक के पद पर चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं होने के संबध में श्री युगल किशोर चौधरी,देवघर का शिकायत ।	29.01.2014	परिवादी द्वारा इसी परिवाद के निराकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय में वाद सं- W.P.(S) 4182/2010 दाखिल किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किया है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

jktLo ,o Hkfe l/kkj foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(राजस्व)29/12	झारखण्ड राज्य धार्मिक न्यास परिषद छोटा अखाड़ा ईचाक के ट्रस्टी जमीन को बेचने के संबंध में श्री प्रदीप कुमार धवन हजारीबाग का परिवाद ।	29.01.2014	अवैद्य रूप सेकायम जमाबंदी जो अशोक स्वर्णकार के नाम किया गया था को उपायुक्त हजारीबाग द्वारा रद्द कर दिया गया । इस प्रकार परिवादी के परिवाद के निरकरण के बाद माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

xkfe.k fodkl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(ग्रा.वि.)41/12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा की गई अनियमितता पर कोषागार पदाधिकारी राँची/खूँटी/डोरंडा एवं जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता राँची द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध में सुनिल कुमार महतो राँची का परिवाद ।	29.01.2014	उपायुक्त राँची द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी पदाधिकारियों के के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु अनुशंसा सरकार से कर दी गई है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

ifyl foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02／लोक(पुलिस)14／12	श्री सतीश जयसवाल पर झूठा आरोप लगा कर जांच अनुसंधान किये बिना चास पुलिस द्वारा हाजत में बंद करने के संबंध में परिवाद ।	29.01.2014	पुलिस महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर, बोकारो से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप सही नहीं पाया गया तथा पुलस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया जा चूका है । अतः उक्त जांच के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

dkfeZd iz'kklfud lq/kkj ,oa jkt Hkk"kk foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02／लोक(कार्मिक)02／13	सचिवालय सहायक के पद पर प्रोन्नति से वंचित रखने के संबंध में श्री अरविंद कुमार का परिवाद ।	29.01.2014	इस प्रकार के परिवाद जो प्रोन्नति से संबंधित है लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आते है । अतः इस परिवाद पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जा सकता है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

is;ty ,oa LoPNrk foHkkx

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vafre vkns'k
1.	02／लोक(पेयजल)01／13	अव्यवहृत अवकाश का बकाया अंतर राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में श्री शिवनाथ सिंह सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, झुमरी तिलैया का	29.01.2014	अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण हो गया ।

		परिवाद ।		उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पेयजल)02/12	जमशेदपुर में नगर वासियों को पीने का पानी के व्यवस्था को लेकर श्री राज सिंह से प्राप्त शिकायत ।	29.01.2014	उपायुक्त जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सरकारी जमीन पर अवैद्य बसे कॉलोनियों में बिजली–पानी का सप्लाई नहीं किया जा सकता परन्तु डिप बोरिंग तथा टेंकर के द्वारा आवश्यकतानुसार पानी का सप्लाई किया जा रहा है। उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

ifjogu foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01/लोक(परिवहन)03/12	गिरिडीह परिवहन विभाग में व्याप्त अनियमितता के संबंध में शिवनाथ साव गिरिडीह का शिकायत ।	20.01.2014	अपराध अनुसंधान विभाग के जांच प्रतिवेदन, पदाधिकारियों के द्वारा समर्पित कागजात तथा उनके बहस पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि वाहनों का पता परिवर्तन नियमानुसार किया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fofo/k foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	02/लोक(विविध)03/13	ब्रजपात में पति के मृत्यु के उपरान्त मुआवजा नहीं दिये जाने के संबंध में मो0 मिनसरिया उराईन, गुमला का परिवाद ।	29.01.2014	उपायुक्त गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निराकरण मुआवजा के रूप में एक लाख रूपये का भुगतान कर कर दिया गया । उक्त के

				आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(विविध)05/13	दलपति पद से चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति नहीं किये जाने के संबंध में श्री निमाई सिंह, गोड़िया, जामताड़ा का शिकायत ।	29.01.2014	उपायुक्त दुमका से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यालय अभिलेख के अनुसार परिवाद की नियुक्ति कभी भी दलपति के पद पर हुआ ही नहीं । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

f'kdk;r

dze la0	lafpdk la[;k	fo"k;	lafpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	शिकायत सं. 591/13	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में श्री पुरूषोत्तम कुमार सिंह, मैथन, धनबाद का शिकायत ।	02.01.2014	इस शिकायत का निराकरण सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में ही निहित है, अतः परिवाद पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 565/13	श्री एस.के. मलहोत्रा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के विरूद्ध भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में भारतीय वन सेवा संघ का शिकायत ।	02.01.2014	शिकायत पत्र पर किसी शिकायत कर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है तथा कोई पता भी अंकित नहीं किया गया है। अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 28/14	बारादव्रारी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट जमशेदपुर झारखण्ड द्वारा व्यापारियों को लूटे जाने के संबंध में भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर साकची कार्यालय का परिवाद ।	30.01.2014	शिकायत सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट जमशेदपुर के विरूद्ध किया गया है जो केन्द्र सरकार के नियंत्राधीन आता है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है अतः शिकायत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 175/13	प्लॉट नं. 1506 वार्ड न. 19 कोनका मौजा लालपुरपर दावे को लेकर डरा–धमका कर परेशान करने के संबंध में डॉ0 मृणाल रॉय का शिकायत ।	24.01.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।

5.	शिकायत सं. 260/13	सेवान्त लाभ दिलाने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार सिंह सेवा निवृत रेल जिला बल धनबाद का शिकायत ।	29.01.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 249/13	सेवान्त लाभ बकाया रहने के संबंध में श्री रामाश्रय चौधरी, सेवानिवृत अभियंता, राँची का शिकायत ।	30.01.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं.206/13	श्री विजय शंकर ठाकुर, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय गरहीटांड, जसीडीह, देवघर पर स्वेच्छाचारिता के संबंध में त्रिलोचन वर्णवाल का आरोप ।	08.01.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं0 109/13	आंगनबाड़ी भवन का निर्माण दुसरे गांवमें कराने के संबंध में श्री राजकुमार झा, देवघर का शिकायत ।	17.01.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 851/12	अवैध तरिके से पत्थर खनन कार्य हेतु लीज देने के संबंध में श्री सुरेन्द्र देहरी, महेशपुर, पाकुड़ का शिकायत ।	02.01.2014	शिकायतकर्त्ता द्वारा पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र की त्रुटियों का निराकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।